

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/215

प्रार्थी शिवदयाल पुत्र नारायण दास कालडा जाति अरोडा निवासी मकान नं0 814 वार्ड नं0 10 पशु हास्पिटल के पास पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी नारायण दास जाति अरोडा निवासी वार्ड नं0 10 जाट धर्मशाला के पास पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.09.2015 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 10.03.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11.09.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान भगवान दास पुत्र जुम्मा राम एवं कृष्ण लाल कालडा पुत्र दरयाई लाल कालडा ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
जिला पंजीयक महीदय

19.7

19/7/22

Identified by me
19/7/2022